

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-402/2014

आदेश दिनांक:-

05.03.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी	:- श्री तनवीर अहमद
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी	:- श्री अशोक वर्मा

प्रार्थीया/अपीलार्थीया, जिसने स्वर्गीय बक्साराम की पहली पत्नी श्रीमती फूलीदेवी के जीवित रहने के दौरान बक्साराम से विवाह करना कहा है, इस स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कानूनन पोषणीय है, योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस बिन्दु पर कानून प्रस्तुत करने हेतु समय चाहते हैं ।

उनके निवेदन पर यह अपील दिनांक 11.03.2019 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)